


कार्यालय ज्ञापन

विषय: सेवानिवृत्त सीएसआईआर / केंद्र सरकार / केंद्रीय स्वायत्त निकाय कर्मचारियों की अनुबंध नियुक्ति (परामर्शदाता सहित) के मामले में पारिश्रमिक के विनियमन के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवानिवृत्त सीएसआईआर/केंद्रीय सरकार/ केंद्रीय स्वायत्त निकाय कर्मचारियों की सीएसआईआर परियोजनाओं में परियोजना स्टाफ के रूप में नियुक्ति के लिए अनुबंध नियुक्ति (सलाहकार सहित) के मामले में वेतन निर्धारण के लिए सीएसआईआर निर्देशों की प्रयोज्यता विभिन्न सीएसआईआर और गैर- सीएसआईआर वित्त पोषित परियोजनाओं के तहत परियोजना कर्मियों के लिए दिशानिर्देशों और सीएसआईआर के 'प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और ज्ञान-आधार के उपयोग के लिए दिशानिर्देश (जीटीटीयूके) - 2017' की जांच की गई है। तदनुसार, निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है:

- i. सीएसआईआर के 'प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और ज्ञान-आधार के उपयोग के लिए दिशानिर्देश (जीटीटीयूके) - 2017' के अंतर्गत सेवानिवृत्त सीएसआईआर / केंद्र सरकार / केंद्रीय स्वायत्त निकाय कर्मचारियों को तकनीकी और व्यवसाय विकास सलाहकार के रूप में नियुक्ति सीएसआईआर पत्र संख्या 5-1(354)/2016-पीडी दिनांक 02.12.2022 के अंतर्गत की जा सकती है।
 - ii. तकनीकी और व्यवसाय विकास सलाहकारों (सेवानिवृत्त सीएसआईआर / केंद्र सरकार / केंद्रीय स्वायत्त निकाय कर्मचारियों के अलावा) की नियुक्ति परामर्श और अन्य सेवाओं की खरीद हेतु मैनुअल के अनुसार की जा सकती है।
 - iii. सीएसआईआर के पत्र संख्या 5-1(354)/2016-पीडी दिनांक 02.12.2022 द्वारा जारी सीएसआईआर दिशानिर्देश प्रायोजित / जीएपी परियोजनाओं में सेवानिवृत्त सीएसआईआर / केंद्र सरकार / केंद्रीय स्वायत्त निकाय कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए समान रूप से लागू हैं। हालाँकि, इस प्रकार की सहभागिता, संबंधित परियोजना की डीपीआर में इसके लिए किसी विशिष्ट प्रावधान की मौजूदगी के अधीन होगी।
 - iv. पूर्णकालिक संविदा आधार पर परियोजना-आधारित पदों के लिए सेवानिवृत्त सीएसआईआर / केंद्र सरकार / केंद्रीय स्वायत्त निकाय कर्मचारियों की नियुक्ति, समान रूप सुनिश्चित करने के लिए परियोजना दिशानिर्देशों के अनुरूप पारिश्रमिक उस पद के लिए निर्धारित अनुमोदित परिलब्धियों के अनुसार तय किया जा सकता है, बशर्ते कि यह प्राप्त अंतिम वेतन में से पेंशन घटाने के बाद की सीमा के अधीन हो।
2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।


(अमरेन्द्र कुमार)
अवर सचिव (पीडी)

सेवा में:

1. सभी राष्ट्रीय सीएसआईआर-प्रयोगशालाओं / संस्थानों के निदेशक / प्रमुख।
2. प्रमुख, टीएमडी - सीएसआईआर के 'प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और ज्ञान-आधार के उपयोग के लिए दिशानिर्देश (जीटीटीयूके) - 2017' के दिशानिर्देशों के साथ सरेखित करने के लिए, यदि कोई हो तो आवश्यक कार्रवाई करें।

प्रतिलिपि:

1. महानिदेशक, सीएसआईआर का कार्यालय
2. सयुक्त सचिव (प्रशासन), सीएसआईआर का कार्यालय
3. वित्तीय सलाहकार, सीएसआईआर का कार्यालय
4. केंद्रीय सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर का कार्यालय

5. कानूनी सलाहकार, सीएसआईआर का कार्यालय
6. प्रमुख, सीएसआईआर-मुख्यालय के सभी वैज्ञानिक निदेशालय।
7. सभी सीएसआईआर राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं / संस्थानों / मुख्यालयों / इकाइयों के सभी वरिष्ठ उपसचिव/ वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/ उपसचिव/ प्रशासन नियंत्रक/अवर सचिव/प्रशासनिक अधिकारी
8. सभी सीएसआईआर राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं / संस्थानों / मुख्यालयों / इकाइयों के सभी वरिष्ठ उप वित्तीय सलाहकार/ वरिष्ठ वित्त नियंत्रक/ उप वित्तीय सलाहकार/ वित्त नियंत्रक/ वित्त एवं लेखा अधिकारी
9. सीएसआईआर वेबसाइट
10. कार्यालय प्रति